रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092020-221790
CG-DL-E-17092020-221790

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2020/भाद्र 26, 1942
No. 459] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2020/BHADRA 26, 1942

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 565(अ).— केन्द्रीय सरकार, सिक्का-निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उप-धारा (2) के खंड (घ) और खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नाम सिक्का निर्माण **(खाद्य और कृषि संगठन की 75 वीं वर्षगांठ** के अवसर पर स्मारक सिक्के जारी करना) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **सिक्का का मूल्यवर्ग.**— **"खाद्य और कृषि संगठन की 75 वीं वर्षगांठ"** के अवसर पर केंद्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए टकसाल में पचहत्तर रुपये मूल्यवर्ग के सिक्के का भी निर्माण किया जायेगा।

3. **सिक्कों की विमा और संरचना.**— नियम 2 में उल्लिखित मूल्यवर्ग के सिक्के, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात् :-

सिक्के का अंकित मूल्य	आकार और बाह्य व्यास	दांतेदारों किनारे की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
पचहत्तर रूपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	**चतुर्थक मिश्र धातु** चांदी- 50 प्रतिशत. तांबा- 40 प्रतिशत. निकिल- 05 प्रतिशत. जस्ता- 05 प्रतिशत.

4. डिजाइन.– सिक्कों का डिजाइन इन नियमों की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किए अनुसार होगा।

5. मानक भरा और अनुज्ञात उपचार.–खाद्य और कृषि संगठन की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर निम्नलिखित मूल्यवर्गित के सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात छूट वह होगी जो इन नियमों की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई है।

पहली अनुसूची

(नियम 4 देखें)

पचहत्तर रूपये

अग्र भाग:

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे **"सत्यमेव जयते"** उत्कीर्णित होगा, उसकी बायीं परिधि पर देवनागरी लिपि में **"भारत"** और अंग्रेजी में **"INDIA"** शब्द होगा। इन दोनों शब्दों के बीच में पांच शीर्ष बिन्दु सितारा उत्कीर्ण होगा। सिक्के की निचली परिधि पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य **"75"** होगा इसके साथ देवनागरी में "रुपये" अंग्रेजी में **"RUPEES"** भी लिखा होगा। ऊपरी और निचली परिधि के उत्कीर्णन को दोनों तरफ से छोटी रेखा से अलग दर्शाया गया होगा।

पृष्ठ भाग:

सिक्के के इस भाग पर पानी के ऊपर खिलते कमल के फूल के दाईं और बाईं ओर वृत्ताकार में अनाज की बाली के चित्र के साथ दिखाया है। ऊपरी परिधि द्वारा कटा हुआ उगता हुआ सूर्य, कमल के फूल के ऊपर दिखाई देगा। सूर्य के चित्र के ऊपर अंग्रेजी में **"FAO"** लिखा होगा। इस चित्र में कमल के फूल के ठीक नीचे पार्श्व भाग में अंतर्राष्ट्रीय अंकों में **"2020"** लिखा होगा। सिक्के के निचली परिधि पर देवनागरी लिपि में **"सही पोषण देश रोशन"** उत्कीर्ण होगा।

दूसरी अनुसूची

(नियम 5 देखें)

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		धातु संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
पचहत्तर रुपये	35 ग्राम	चांदी में 1/500वां जोड़ कर या घटा कर अर्थात चांदी में प्रति 1000 में 498 से 502 तक का अंतर हो सकेगा।	1/100 जोड़ कर या घटा कर अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक का अंतर हो सकता है।

[एफ.सं.02/04/2020–सिक्का]

शशांक सक्सेना,सलाहकार (सिक्का और मुद्रा)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economics Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2020

G.S.R. 565 (E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement.**– (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of 75th Anniversary of Food and Agriculture Organisation) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of Coin.**– The coin of Seventy Five Rupees denomination shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of **"75th Anniversary of Food and Agriculture Organisation"**.

3. **Dimension and composition of coin.**– The coin of the above denomination mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely:-

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Seventy Five Rupees	Circular 44 millimeter	200	**Quaternary Alloy** Silver - 50 per cent. Copper - 40 per cent. Nickel - 05 per cent. Zinc - 05 per cent.

4. **Design.**– The design of the coin shall be as specified in the First Schedule to these rules.

5. **Standard weight and remedy allowed.**– The standard weight of the coin of above denomination coined to commemorate the occasion of 75th Anniversary of Food and Agriculture Organisation and the remedy allowed in making of the coin shall be as specified in the Second Schedule to these rules.

The First Schedule

(See rule 4)

SEVENTY FIVE RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend "सत्यमेव जयते" inscribed below. The words "भारत" in Hindi and "INDIA" in English with five pointed star in between the two words inscribed on the upper periphery. It shall also bear the denominational value "75" in International Numeral and the words "रुपये" in Hindi and "RUPEES" in English on the lower periphery. The inscription on upper and lower peripheries shall be separated by a dash on either side.

IndiaCode

REVERSE:

This face of the coin depicts a lotus in full bloom floating on water in the centre, with ears of cereal on either side. The rising sun cut by the upper periphery shall appear above the lotus. The inscription "FAO" in English is encircled on sketch of sun. A year "2020" in international numeral shall be flanked below the picture of lotus on the coin. On bottom periphery of the coin the inscription "सही पोषण देश रोशन" in Devnagri script is made.

The Second Schedule

(See rule 5)

Denomination of coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
Seventy Five Rupees	35 Grams	1/500th plus or minus for silver, that is to say, the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100th plus or minus that is to say, the weight may vary from 34.65grams to 35.35grams.

[F.No. 02/04/2020-Coin]

SHASHANK SAKSENA, Adviser (Coin & Currency)

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA